न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –18 / 2017 जिला दौसा

कैलाश पुत्र श्योजी, जाति मीना, निवासी देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा । अपीलान्ट

बनाम

1. आशाराम पुत्र श्योजी
2. रमेश पुत्र श्योजी
   जाति मीना, निवासी ग्रम देवली ढाणी कालेरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तहसील लालसोट ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलैक्टर दौसा दिनांक 19..4.2017

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक 31.7.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 19.4.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 82, 88, 117, 20, 212 कुल किता 5 कुल रकबा 42 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार गौर्या पुत्र रामरतन मीना था , जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.1983 को तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा द्वारा श्योजी दत्तक पुत्र गौर्या के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.1983 से व्यथित होकर अपीलान्ट कैलाश पुत्र श्योजी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 26.7.2016 को करीबन 33 वर्ष के विलम्ब से मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय दिनांक 19.4.2017 द्वारा अपीलार्थी को प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.1983 की जानकारी पूर्व से होना , अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिये कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया गया । अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 19.4.2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.4.2017 निरस्त किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार गौर्या पुत्र रामरतन मीना द्वारा अपीलान्ट के पिता श्योजी को कभी भी दत्तक ग्रहण नहीं किया

गया बल्कि अपीलान्ट कैलाश पुत्र श्योजी के पक्ष में विवादित भूमि के खातेदार गौर्या द्वारा दिनांक 6.1.1983 को वसियत की थी । वसियत को उप पंजीयक से पंजीकृत करवाना चाहते थे, लेकिन उप पंजीयक लालसोट उस दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वसियत पंजीकृत नहीं हो सकी ओर इसके बाद गौर्या बीमार हो गया तथा उसकी मृत्यु हो गई । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का ने मृतक श्योजी को भौर्या पुत्र रामरतन का पुत्र बताकर नामांतरकरण के प्रकोष्ठ संख्या 11 में श्योजी पुत्र गौर्या अंकित कर दिया तथा नामांतरकरण में श्योजी पुत्र गौर्या के अंकन के उपर बाद में दत्तक शब्द बढाया गया । तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण दिनांक 2.2.1983 को तस्दीक कर दिया । उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से समयातीत मानकर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि नामांतरकरण की फिसकल कार्यवाही में विवादित गोद/वसियत के आधार पर उत्तराधिकार के प्रश्न तय नहीं हो सकते , लेकिन तहसीलदार ने गौर्या का दत्तक पुत्र श्योजी को मानकर प्रश्नगत नामांतरकरण श्योजी दत्तक पुत्र गौर्या के नाम तस्दीक किया है, जो क्षेत्राधिकार विहीन एवं शुन्य आदेश है एवं ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण के कालम संख्या 11 में पटवारी हल्का द्वारा श्योजी पुत्र गौर्या अंकित किया था जिसे बाद में श्योजी के आगे उपर दत्तक शब्द अंकित कर दिया तथा कालम संख्या 8 में काटा पीटी की गई है । उनका यह भी कहना था कि विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किये हैं कि न्यायालयों को मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा कर न्याय की दृष्टि से प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखे बिना ही केवल मियाद के बिन्दु पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रामरतन के दो पुत्र गौर्या व छीतर हुये थे जिनमें से छीतर के दो पुत्र भैर्या व श्योजी गौर्या के गोद चले गये । इसके पश्चात् श्योजी के पुत्र कैलाश, रमेश, मुकेश, आशाराम व पुत्री तुलसी, राजन्ती व गन्दोडी पैदा हुई जिनमें से मुकेश, भैर्या के गोद चला गया । गौर्या के भाई छीतर पुत्र रामरतन के फौत होने पर छीतर की विरासत का नामांतरकरण संख्या 411 दिनांक 2.2.1983 भौर्या के नाम और छीतर की ही विरासत का नामांतरकरण 412 दिनांक 2.2.1983 मजमेआम में तस्दीक हुये तथा उसी मजमेआम में प्रश्नत नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.1983 गौर्या की विरासत का श्योजी दत्तक पुत्र गौर्या के नाम तस्दीक हुआ था । उनका कहना था कि अपीलान्ट के हक में गौर्या द्वारा दिनांक 6.1.1983 को वसियत किया जाना तथा उस दिन उप पंजीयक की अनुपस्थिति के कारण पंजीकृत नहीं होना तथा उसके बाद गौर्या के बीमार होने से उसकी मृत्यु हो जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हैं तो वसियत दिनांक 6.1.83 से प्रथम अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 26.7.2016 तक की अवधि 33 वर्षों पूर्व अपीलार्थी नाबालिग था एवं उसने यह याद रखा कि उस दिन उप पंजीयक अनुपस्थित था, लेकिन 33 वर्षों तक अपीलार्थी खामोश क्यो रहा । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण की जाकनकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी, लेकिन प्रथम अपील 33 वर्षों के

निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित अंकित किया था । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसका नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिये । प्रकरण में यदि विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण यदि उचित एवं संतोषजनक पाये जाये तो ही विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है अन्यथा प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अंकित कारण उचित एवं संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में मियाद के बिन्दु पर प्रकरण खारिज कर देना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2017 द्वारा प्रकरण पक्षकारों को सुनने के बाद एवं प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी को प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान पूर्व से ही होना एवं विलम्ब के लिये कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार गौर्या पुत्र रामरतन की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक खातेदार गौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.1983 को अपीलान्ट के पिता श्योजी दत्तक पुत्र गौर्या के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट कैलाश पुत्र श्योजी विवादित भूमि के खातेदार गौर्या द्वारा दिनांक 6.1.1983 को उसके नाम की गई वसियत के आधार पर गौर्या की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम खुलवाना चाहता है । अपीलान्ट कैलाश पुत्र श्योजी द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील करीबन 33 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2017 द्वारा अपीलार्थी को प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.1983 की जानकारी पूर्व से होना , अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिये कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया गया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण अपीलान्ट को गोर्या की भूमि से बल पूर्वक निष्कासित करने की चेतावनी देने पर प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान पटवारी हल्का से जानकारी करने पर होना अंकित किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 2.2.83 की अपील अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.7.2016 को करीबन 33 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी , जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं है । हम समझते हैं कि समयावधि के प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है । न्यायिक रूप से सर्वप्रथम यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं उचित होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये अन्यथा प्रकरण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के लिये कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2017 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया है ,

जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 31.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर